राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–3725/2021

दूलाराम

–अपीलार्थी

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. संभागीय आयुक्त, अजमेर संभाग, अजमेर।
3. जिला कलेक्टर, टोंक।
4. उप खण्ड अधिकारी, मालपुरा, जिला टोंक।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 16.04.2024

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : कोई उपस्थित नहीं

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य(न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. इस अपील में अपीलार्थी के विरूद्ध नियम–17 राजस्थान असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम–1958 के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही दिनांक 26.03.2009 (अनुलग्नक–1) के द्वारा प्रारम्भ की गई थी, जिसमें अपीलार्थी के विरूद्ध दण्डादेश दिनांक 12.05.2009 पारित किया गया था, जिसमें अपीलार्थी की 3 वर्षीय वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से रोके जाने का दण्ड दिया गया था। इसके पश्चात अपीलार्थी द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध विभागीय अपील प्रस्तुत की गयी, जिसे संभागीय आयुक्त, अजमेर द्वारा आदेश दिनांक 08.09.2009 के द्वारा निरस्त किया गया। उक्त दण्डादेशों को अपीलार्थी ने इस अपील में चुनौती दी है। साथ ही अपीलार्थी ने दण्डादेश अपास्त किये जाने के उपरांत वेतन का पुनर्निधारण कर पारिणामिक व सेवानिवृति लाभ दिये जाने की प्रार्थना की है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 2(F) में सेवा मामलों को परिभाषित किया गया है, जिसमें स्पष्ट रूप से शास्ती आदेश को सेवा मामलों से पृथक रखा गया है। इस प्रकार इस अधिकरण के समक्ष शास्ती आदेशों को चुनौती नहीं दी जा सकती है।
3. अतः यह अपील इस अधिकरण के समक्ष पोषणीय नहीं होने के आधार पर खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)